

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम/वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
1	ग्रामीण निर्माण विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	170 (UR-107, SC-17, ST-10, OBC-19, EWS-17)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) ₹44900-142400 (लेवल-7)	09 (UR-06, ST-01, OBC-01, EWS-01)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) ₹44900-142400 (लेवल-7)	03 (UR-02, OBC-01)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा।	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
2	सिंचाई विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ₹44900-142400 (लेवल-7)	49 (UR-36, SC-02, ST-02, OBC-04, EWS-05)	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, अथवा (ख) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, अथवा (ग) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक/ विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र।	(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो।
3	लघु सिंचाई विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	20 (UR-12, SC-02, OBC-04, EWS-02)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या (2) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र।	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ₹44900-142400 (लेवल-7)	16 (UR-08, SC-04, ST-01, OBC-02, EWS-01)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या (2) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र।	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) ₹44900-142400 (लेवल-7)	03 (UR-02, OBC-01)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा, या (2) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र।	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4	पंचायतीराज विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	21 (UR-11, SC-03, ST-1, OBC-04, EWS-02)	निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो - 1- रुड़की विश्वविद्यालय, या 2- हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ, या 3- सिविल इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ, या 4- अलीगढ़ इंजीनियरिंग कालेज, या 5- पूना इंजीनियरिंग कालेज, या	—

				6- उड़ीसा इंजीनियरिंग कालेज, या 7- एम0जी0 टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	
5	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	79 (UR-42, SC-03, ST-1, OBC-25, EWS-08)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रिकी में 03 वर्ष का डिप्लोमा किया हो।	(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
6	लोक निर्माण विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	183 (UR-150, SC-06, ST-02, OBC-07, EWS-18)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और 3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) ₹44900-142400 (लेवल-7)	16 (UR-07, SC-03, OBC-05, EWS-01)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और 3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ₹44900-142400 (लेवल-7)	02 (UR-01, SC-01)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और 3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) ₹44900-142400 (लेवल-7)	21 (UR-18, ST-01, EWS-02)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और 3. प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
7	विद्युत सुरक्षा विभाग	विद्युत अवर अभियन्ता ₹44900-142400 (लेवल-7)	09 (UR-06, SC-01, OBC-01, EWS-01)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा।	(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या (दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
8	आवास विभाग	अवर अभियन्ता (सिविल) ₹44900-142400 (लेवल-7)	139 (UR-73, SC-27, ST-06, OBC-19, EWS-14)	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक/तकनीकी शिक्षण संस्था से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा।	1. क्षेत्रीय सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा कर चुका हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो।
9	कृषि विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 अभियंत्रण शाखा) ₹44900-142400 (लेवल-7)	36 (UR-25, SC-05, ST-01, OBC-04, EWS-01)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि/सिविल/मैकेनिक/विद्युत अभियांत्रिकी में 03 वर्ष का डिप्लोमा।	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

4. विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण : 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2021' में

विभागवार/पदवार, उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :-

Department and post	Vertical Category	Total	कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			UF	PH	EXS	DFF	Orphan
ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	107	32	4 (PB-2, PD-1, OL-1)	5	2	1
	SC	17	5	1 (PB)	1	0	NA
	ST	10	3	0	0	0	NA
	OBC	19	6	1 (PB)	1	0	NA
	EWS	17	5	1 (PB)	1	0	NA
ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	UR	6	2	0	0	0	0
	SC	0	0	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	1	0	0	0	0	NA
	EWS	1	0	0	0	0	NA
ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	UR	2	0	0	0	0	0
	SC	0	0	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	1	0	0	0	0	NA
	EWS	0	0	0	0	0	NA
सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	UR	36	11	2 (PB-1, PD-1)	2	1	2
	SC	2	1	0	0	0	NA
	ST	2	1	0	0	0	NA
	OBC	4	1	0	0	0	NA
	EWS	5	1	0	0	0	NA
लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	12	4	0	0	0	0
	SC	2	0	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	4	1	0	0	0	NA
	EWS	2	0	0	0	0	NA
लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	UR	8	2	0	0	0	0
	SC	4	1	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	2	0	0	0	0	NA
	EWS	1	0	0	0	0	NA
लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि)	UR	2	0	0	0	0	0
	SC	0	0	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	1	0	0	0	0	NA
	EWS	0	0	0	0	0	NA
पंचायतीराज विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	11	3	0	1	0	1
	SC	3	1	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	4	1	0	0	0	NA
	EWS	2	0	0	0	0	NA

पेयजल विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	42	12	3 (PB-1, PD-1, OA/OL-1)	2	0	1
	SC	3	0	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	25	7	1 (PB)	1	0	NA
	EWS	8	2	0	0	0	NA
लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	150	42	16 (PB-2, PD-09, OA-3, OL-2)	7	3	7
	SC	6	2	0	0	0	NA
	ST	2	1	0	0	0	NA
	OBC	7	2	2 (PD)	0	0	NA
	EWS	18	5	1 (PB)	1	0	NA
लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	UR	7	2	1 (OA)	0	0	0
	SC	3	1	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	5	2	0	0	0	NA
	EWS	1	0	0	0	0	NA
लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	UR	1	0	0	0	0	0
	SC	1	0	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	0	0	0	0	0	NA
	EWS	0	0	0	0	0	NA
लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	UR	18	5	1 (PB)	1	0	1
	SC	0	0	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	0	0	0	0	0	NA
	EWS	2	0	0	0	0	NA
विद्युत सुरक्षा विभाग अवर विद्युत अभियन्ता	UR	6	2	0	0	0	0
	SC	1	0	0	0	0	NA
	ST	0	0	0	0	0	NA
	OBC	1	0	0	0	0	NA
	EWS	1	0	0	0	0	NA
आवास विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	UR	73	22	3 (PB-1, PD-1, OA/OL-1)	4	1	3
	SC	27	8	1 (PD)	1	0	NA
	ST	6	1	0	0	0	NA
	OBC	19	6	1(PB)	1	0	NA
	EWS	14	4	1(PB)	0	0	NA
कृषि विभाग कनिष्ठ अभियन्ता (अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 अभियंत्रण शाखा)	UR	25	8	1 (PD)	1	0	0
	SC	5	2	0	0	0	NA
	ST	1	0	0	0	0	NA
	OBC	4	1	0	0	0	NA
	EWS	1	0	0	0	0	NA

नोट—(i) प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विज्ञापित पद के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु आरक्षण, उक्तांकित तालिका में उल्लिखित दिव्यांगता की श्रेणी (यथा OA, OL, PB, PD) हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 1196 दिनांक 25 मार्च, 2011 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता पद हेतु दिव्यांगजन की श्रेणी (OA, OL, PB, PD) चिह्नित की गयी है। तदक्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश